

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत।

Email-dfo_champawat@rediffmail.com

पत्रांक 3912 / 12-1 चम्पावत दिनांक 08-05-2023

सेवा में,

अधिशारी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग
चम्पावत।

विषय:- जनपद-चम्पावत में राज्य योजना के अन्तर्गत स्वीकृत चतुरकोट- कफल्टा मोटर मार्ग के सम्बन्ध में (प्रस्ताव सं० 45918/2020)।

सन्दर्भ:- वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा की पत्र संख्या-2710/12-1-(2) दिनांक 29.03.2023 एवं आपकी पत्र संख्या-634/12-1 दिनांक 26.08.2022।

महोदय,


उपरोक्त विषयगत मोटर मार्ग के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आपके द्वारा प्रस्ताव में संलग्न नक्शों में प्रस्तावित मोटर मार्ग को लाल स्याही से अंकित है, जो आरक्षित वन भूमि पूर्वी क्रान्तेश्वर क० सं०- 14 में पड़ रहा है तथा एक छोटे से अंश में पूर्वी क्रान्तेश्वर क० सं०- 12 में प्रदर्शित हो रहा है तथा शेष मोटर मार्ग पुनः पूर्वी क्रान्तेश्वर क० सं०- 14 में आ रहा है। आपके द्वारा प्रेषित प्रस्ताव में वन भूमि विवरण में यह अंकित नहीं है। अपितु पूर्व प्रस्तावित मार्ग का संरक्षण पूर्वी क्रान्तेश्वर क० सं० 12 में (प्रपत्र-2.15) है, जिससे प्रस्तावित संरक्षण की स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही है।

इसके साथ ही आपके द्वारा प्रस्तावित मार्ग में बांज वृक्षों की कुल सं० 255 दिखायी गयी है, जिसमें सिविल भूमि में भी आरक्षित वन भूमि के कम्पार्टमेंट (गोलडांड क० सं०- 15, 5, 11, 10, 12, 13) दिखाये गये हैं, जिससे स्थिति अस्पष्ट हो रही है। जिस कारण प्रस्ताव की 4 प्रतियां लौटायी जा रही है।

अतः उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करते हुए मोटर मार्ग के संशोधित नक्शे, चार्ट विवरणिका इत्यादि सम्मिलित करते हुए संशोधित प्रस्ताव की पांच प्रतियां उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे प्रकरण सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु उच्च स्तर को प्रेषित किया सके।

संलग्न:- प्रस्ताव की 4 प्रतियां।


भवदीय,


प्रभागीय वनाधिकारी,
चम्पावत वन प्रभाग/चम्पावत।

3912 / 12-1

प्रतिपात्र:- 1. उपप्रभागीय वनाधिकारी चम्पावत/लखिवाले को इस आशय से प्रेषित कि प्रकरण में उपरोक्त नक्शों पर जोड़ें। पुनः प्रस्ताव उपलब्ध होने पर शेष कार्य जांच कर वह कार्यालय को प्रेषित करें।
2. वन वनाधिकारी चम्पावत को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त नक्शों को शेष कार्य जांच कर ही वह कार्यालय को प्रेषित करें।

R.K


प्र० व० अ० चम्पावत